राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9(4)(148)छात्र./नवीन पोर्टल/सान्याअवि/2016–17/73591 दिनांक : 9-10-2018

आदेश

शैक्षणिक सत्र 2016–17 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं यथाः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछडा वर्ग, आर्थिक पिछडा वर्ग एवं मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति में ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों में से कतिपय आवेदन पत्रों में आंशिक कमियां अथवा आक्षेप होने के कारण स्वीकृतकर्ता अधिकारी एवं शिक्षण संस्थाओं द्वारा आक्षेपित किया गया था, ऐसे आवेदन पत्रों में संबंधित विद्यार्थी/शिक्षण संस्थाओं द्वारा दिनांक 30 जून, 2018 तक आक्षेप पूर्ति कर स्वीकृतकर्ता अधिकारी को आवेदन पत्र ऑनलाईन फारवर्ड किया जाना था किन्तु ऑनलाईन फारवर्ड किए जाने की अन्तिम तिथि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कतिपय विद्यार्थियों/शिक्षण संस्थाओं द्वारा आक्षेप पूर्ति नहीं की गई अथवा विद्यार्थी द्वारा आक्षेप पूर्ति कर दिये जाने के पश्चात् भी संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा स्वीकृतकर्ता अधिकारी को आवेदन पत्र ऑनलाईन फारवर्ड नहीं किया गया जिसकी वजह से ऐसे आवेदन पत्रों की छात्रवृति एवं भुगतान की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

अतः विद्यार्थी हित को दृष्टिगत रखते हुए अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए शैक्षणिक सत्र 2016–17 के ऑनलाईन आवेदन पत्रों का पूर्ण निस्तारण करने हेतु निम्नानुसार अन्तिम तिथियाँ निर्धारित की जाती हैः–

क्र.	विषय वस्तु	निर्धारित तिथियां
1	विद्यार्थियों के स्तर पर आक्षेप/अन्य कारणों से लम्बित आवदेन पत्रों की आक्षेप पूर्ति कर शिक्षण संस्थान को ऑनलाईन फारण्वर्ड करने की अन्तिम तिथि	31.10.2018
2	शिक्षण संस्थाओं को विद्यार्थियों से प्राप्त ऑन लाइन आवेदन पत्रों की जांच कर पात्र आवेदन पत्रों को स्वीकृतकर्ता अधिकारियों (विभागीय जिलाधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी/ संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी) तक ऑनलाईन फारवर्ड करने की अंतिम तिथि	05.11.2018
3	स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा समस्त पात्र आवेदन पत्रों को स्वीकृत कर भुगतान करने की अन्तिम तिथि	30.11.2018

उक्त तिथियों के पश्चात् विद्यार्थी एवं शिक्षण संस्थान के स्तर पर लम्बित आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(कृष्ण कुणाल)
आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक : एफ 9(4)(148)छात्र./नवीन पोर्टल/सान्याअवि/2016–17/73596-697 दिनांक : 9-1-

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त सचिव (पीसी), माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/उच्च एवं तकनीकी शिक्षा जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/सूचना प्रौद्योगिक एवं संचार/श्रम एवं नियोजन, जयपुर।
5. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा निदेशालय, शिक्षा संकुल, जयपुर
6. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत, बीकानेर/जयपुर।
8. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/ निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग जोधपुर
9. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. राजस्थान
10. वरिष्ठ प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर।
11. जिला कलेक्टर/कोषाधिकारी (समस्त)
12. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
14. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय/निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, (समस्त)......
15. प्रबन्ध निदेशक/रजिस्ट्रार/निदेशक, (राज्य से बाहर की राजकीय/एवं मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थान..............................
16. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त...................
17. प्राचार्य राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर /स्नातक महाविद्यालय समस्त....................
18. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलोटेक्निक महाविद्यालय/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त...............
19. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त..............
20. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाऐं................
21. अतिरिक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को पोर्टल पर उपरोक्तानुसार बेवसाइड पर अपलोड करवाने, संबंधित समस्त को ई–मेल करवाने एवं आदेशानुसार सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से संमन्वय स्थापित कर पोर्टल पर वांछित कार्यवाही करवाने हेतु प्रेषित है।
22. सहायक निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार करवाने हेतु
23. प्रभारी अधिकारी (समस्त) निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
24. उप निदेशक / सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समस्त). को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आपके जिले में स्थित समस्त शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर से सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
25. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृति एवं छात्रावास)